NPVA

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

-: आहवान-पत्र :-

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-06/2026- 5064../वि0स0।

प्रेषक,

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रिगण,
झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची,दिनांक- 23.07.26 ई0।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड के माननीय राज्यपाल ने भारत का संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा को सभा-वेश्म्, राँची में **दिनांक 06 अगस्त, 2026** को **11:00** बजे पूर्वाहन् में अधिवेशित होने के लिए आहूत किया है।

माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से **दिनांक 23 जुलाई, 2026** को जारी की गई एतद् विषयक अधिसूचना की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

अतः झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम-3 के अधीन मैं आपसे निर्धारित तिथि,समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

विश्वासभाजन,
रंजीत कुमार
23/7/2026
(रंजीत कुमार)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

23/07/26

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

-: अधिसूचना :-

रॉंची,दिनांक-**23 जुलाई,2026**

सं0-05/मं0मं0स0/वि0स0सत्र-**10/2026-813**/ माननीय राज्यपाल, झारखण्ड का दिनांक- **23-07-2026** का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

---

''भारत के संविधान के अनुच्छेद-**174** के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को **दिनांक-06 अगस्त, 2026** को **11:00** बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म् ,रॉंची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।''

रॉंची,
दिनांक- 23 जुलाई, 2026

ह0/- संतोष कुमार गंगवार,
राज्यपाल, झारखण्ड

ह0/-कुशलमय केनेथ मुण्डू
सरकार के उप सचिव।

<u>**झारखण्ड विधान सभा सचिवालय**</u>

पत्र सं0-कार्य0का0सू0-06/2026-.5065...../वि0स0।

प्रेषक,

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

सेवा में,

<u>**माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा,राँची।**</u>

माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार,राँची।

राँची,दिनांक- 23/07/26

विषयः- **षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम।**

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के पत्रांक-कार्य0का0सू0-06/2026-5064 /वि0स0,राँची,दिनांक-23/07/26..के क्रम में निदेशानुसार मैं, षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् (मानसून) सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ,जिसमें यह दर्शाया गया है कि उक्त सत्र दिनांक- 06 अगस्त, 2026 से 12 अगस्त, 2026 तक की अवधि में होनेवाली बैठकों में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यो के निष्पादन के लिए कौन-कौन सी तिथियाँ नियत की गई है।

02. दिनांक- 06 अगस्त, 2026 को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो), विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो),तत्पश्चात् शोक प्रकाश (यदि हो) लिये जायेंगे।

-: <u>वित्तीय कार्य</u> :-

03. **वित्तीय वर्ष-2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन**-दिनांक-**07 अगस्त,2026** को वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं दिनांक- **10 अगस्त,2026** को उक्त व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद,मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण होगा।

अतएव झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-173 एवं 268 (1) के अन्तर्गत उक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित किसी मांग पर कटौती प्रस्तावों की सूचना नियम-168 के तहत शिथिल करते हुए दिनांक- **07 अगस्त,2026** को 04:00 बजे अपराह्न तक सभा सचिव के कार्यालय कक्ष में देने हेतु समय नियत किया गया है।

-: <u>विधायी कार्य</u> :-

4.दिनांकः-11 अगस्त एवं 12 अगस्त,2026 को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो) होंगे।

क्र0पृ0उ0

-: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प) :-

5. संलग्न कार्यक्रम को देखने से यह स्पष्ट है कि **दिनांक- 12 अगस्त,2026** को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर-सरकारी संकल्प)के लिए नियत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-126 के प्रथम परन्तुक के तहत गैर-सरकारी संकल्पों की सूचना **दिनांक 29 जुलाई,2026** को 04.00 बजे अप0 तक सभा सचिव के कार्यालय कक्ष में दी जा सकती है।

मैं इस संबंध में आपका ध्यान झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के **नियम-126** के द्वितीय परन्तुक की ओर भी आकृष्ट करता हूँ,जिसके अनुसार कोई सदस्य गैर-सरकारी संकल्प के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दे सकते हैं।

6.**शलाका**-गैर-सरकारी संकल्पों की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए सचिव के कार्यालय कक्ष में शलाका किया जायेगा, जिसके लिए **दिनांक 04अगस्त, 2026 को 04.00 बजे अप0** का समय निर्धारित की गयी है।

7. (क)-प्रश्नों की सूचनायें देने के लिए चक्रानुवर्त्तित क्रम की सारणी अलग से परिचारित की जा रही है।

(ख)-अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्नों की प्राथमिकता शलाका द्वारा निर्धारित की जायेगी।

8.सत्र में भिन्न-भिन्न कोटि के कार्यो के लिए उपर्युक्त नियत तिथि ऐसे परिवर्तनों के अधीन है,जो समय-समय पर सदन में अभिज्ञापित किये जायेंगे अथवा दैनिक कार्य-सूची में दिखलाए जायेंगे ।

9. यदि कार्यवश दिनांक - **12 अगस्त,2026** के पश्चात् भी सत्र चलाना आवश्यक प्रतीत हुआ तो भिन्न-भिन्न कार्यो के निपटारे के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत करते हुए एक अनुपूरक कार्यक्रम बाद में निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि इस सचिवालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित कार्य-सूची सहित अन्य ऐसे कागजात जो आपके उपयोग एवं सत्रावधि में निदेश के लिए आवश्यक हो, उसे अपने साथ अवश्य लाने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

रंजीत कुमार
23/7/2026

(रंजीत कुमार)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

23/07/26

भारत के संविधान के अधीन गठित षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम (मानसून) सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम

दिनांक–06 अगस्त, 2026 (गुरूवार)	1.	शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
	2.	विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
	3.	शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक–07 अगस्त, 2026 (शुक्रवार)	1.	प्रश्नकाल।
	2.	वित्तीय वर्ष 2026–2027 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
दिनांक–08 अगस्त, 2026 (शनिवार)		अवकाश
दिनांक–09 अगस्त, 2026 (रविवार)		अवकाश
दिनांक–10 अगस्त, 2026 (सोमवार)	1.	प्रश्नकाल।
	2.	वित्तीय वर्ष 2026–2027 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद–विवाद, मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक–11 अगस्त, 2026 (मंगलवार)	1.	प्रश्नकाल
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
दिनांक–12 अगस्त, 2026 (बुधवार)	1.	प्रश्नकाल
	2.	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)।
	3.	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

प्रश्नों की तालिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा का षष्ठम् (मानसून) सत्र-2026

निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक-06 अगस्त, 2026 ई0 से प्रारंभ होने वाले षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् (मानसून) सत्र में माननीय सदस्यों के अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न निम्न रूपेण सदन में लिये जायेंगे।

01.	02.	03.	04.
वर्ग	मंत्री	विभाग एवं उनके सांकेतिक चिन्ह	सदन के लिए निर्धारित तिथि
पंचम वर्ग- (शुक्रवार)	मुख्यमंत्री/ प्रभारी मंत्री	1- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (श्रनि) 2- उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग।(मद्य) 3- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (स) 4- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (रा) 5- विधि विभाग (विधि) 6- ऊर्जा विभाग (ऊ) 7- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (क)	07 अगस्त,2026 ई0
प्रथम वर्ग- (सोमवार)	मुख्यमंत्री/ प्रभारी मंत्री	1- मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग सहित) (म) 2- मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग (मनि) 3- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (का) 4- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (ग) 5- योजना एवं विकास विभाग (योवि) 6- वित्त विभाग (वि) 7- वाणिज्यकर विभाग (वाणि) 8- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।(जन) 9- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृष) 10- जल संसाधन विभाग (ज)	10 अगस्त,2026 ई0

क्र0पृ030/-

द्वितीय वर्ग–मुख्यमंत्री/ (मंगलवार) प्रभारी मंत्री	1– वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।(वन) 2– स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।(शि) 3– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उत) 4– सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग (सुई) 5– पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (टन) 6– उद्योग विभाग (उ) 7– खान एवं भूतत्व विभाग (ख) 8– महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (मस)	11 अगस्त,2026 ई0
तृतीय वर्ग– मुख्यमंत्री/ (बुधवार) प्रभारी मंत्री	1– नगर विकास एवं आवास विभाग (न) 2– भवन निर्माण विभाग (भ) 3– पथ निर्माण विभाग (पथ) 4– परिवहन विभाग (परि) 5– पंचायती राज विभाग (पंचा) 6– ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम) 7– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पेय) 8– ग्रामीण कार्य विभाग (ग्राम्य) 9– खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त मामले विभाग (खा)	12 अगस्त,2026 ई0

प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने का समय सभी वर्गो के समक्ष अंकित तिथियों को 3:00 बजे अप0 तक होगा।

वर्ग	सदन में मौखिक/ लिखित उत्तर देने की तिथि	प्रश्न के प्रकार	सूचनाएँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि
01.	02.	03.	04.
वर्ग–05	07 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित तारांकित	31 जुलाई, 2026 ई0। 24 जुलाई, 2026 ई0।
वर्ग–01	10 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित तारांकित	03 अगस्त, 2026 ई0। 27 जुलाई, 2026 ई0।
वर्ग–02	11 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित तारांकित	04 अगस्त, 2026 ई0। 28 जुलाई, 2026 ई0।

वर्ग-03 12 अगस्त, 2026 ई0। अल्पसूचित 05 अगस्त, 2026 ई0।
तारांकित 29 जुलाई, 2026 ई0।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,
रंजीत कुमार 23/7/2026
(रंजीत कुमार)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0प्रश्न-01/2025-...5074..../वि0स0 राँची, दिनांक- 23/07/26

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रिगण/ महाधिवक्ता, झारखण्ड सरकार, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/संसदीय कार्य विभाग तथा लोकायुक्त झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/26
(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0प्रश्न-01/2025-.....5074../वि0स0 राँची, दिनांक- 23/07/26

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/26
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0प्रश्न-01/2025-...5074.../वि0स0 राँची, दिनांक- 23/07/26

प्रतिः- संयुक्त सचिव/ उप सचिवगण/ अवर सचिवगण/ प्रश्न शाखा(10 प्रतियों में)/ कार्यवाही शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ विधायी शाखा/ शोध संदर्भ शाखा/ वेबसाईट शाखा/ जनसूचना शाखा/ जन सम्पर्क शाखा/ अवधायक शाखा/ JVS TV एवं विधायी शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/26
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

23/07/26

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

शलाकन का कार्यक्रम

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा का षष्ठम् (मानसून) सत्र के कार्यक्रमों में प्रश्नों की तालिका के क्रमानुसार माननीय सदस्यों के स्वीकृत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की पूर्ववर्तिता के निर्धारण हेतु शलाकन निम्न तालिका के अनुसार सभा सचिवालय स्थित सचिवीय कक्ष में 03:00 बजे अप0 में होगी।

01.	02.	03.	04.
वर्ग	**सदन में मौखिक/लिखित उत्तर देने की तिथि**	**प्रश्न के प्रकार**	**शलाकन हेतु निर्धारित तिथि**
वर्ग– 05	07 अगस्त 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	02 अगस्त, 2026 ई0। 31 जुलाई, 2026 ई0।
वर्ग– 01	10 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	05 अगस्त, 2026 ई0। 03 अगस्त, 2026 ई0।
वर्ग– 02	11 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	06 अगस्त, 2026 ई0। 04 अगस्त, 2026 ई0।
वर्ग– 03	12 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	07 अगस्त, 2026 ई0। 05 अगस्त, 2026 ई0।

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना देने वाले माननीय सदस्य (यदि चाहें तो) प्रश्नों के लिए नियत शलाकन की तिथियों को सचिवीय कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो सकते है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

रंजीत कुमार 23/7/2026

(रंजीत कुमार)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0– प्रश्न–01/2025–..1507.3../**वि0स0, राँची, दिनांक–**23/07/26

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 23/07/26

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0– प्रश्न–01/2025–..1507.3../**वि0स0, राँची, दिनांक–**23/07/26

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 23/07/26

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

23/07/26

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

शलाकन का कार्यक्रम

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा का षष्ठम् (मानसून) सत्र के कार्यक्रमों में प्रश्नों की तालिका के क्रमानुसार माननीय सदस्यों के स्वीकृत अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की पूर्ववर्तिता के निर्धारण हेतु शलाकन निम्न तालिका के अनुसार सभा सचिवालय स्थित सचिवीय कक्ष में 03:00 बजे अप0 में होगी।

01.	02.	03.	04.
वर्ग	सदन में मौखिक/लिखित उत्तर देने की तिथि	प्रश्न के प्रकार	शलाकन हेतु निर्धारित तिथि
वर्ग– 05	07 अगस्त 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	02 अगस्त, 2026 ई0। 31 जुलाई, 2026 ई0।
वर्ग– 01	10 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	05 अगस्त, 2026 ई0। 03 अगस्त, 2026 ई0।
वर्ग– 02	11 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	06 अगस्त, 2026 ई0। 04 अगस्त, 2026 ई0।
वर्ग– 03	12 अगस्त, 2026 ई0।	अल्पसूचित– तारांकित –	07 अगस्त, 2026 ई0। 05 अगस्त, 2026 ई0।

अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों की सूचना देने वाले माननीय सदस्य (यदि चाहें तो) प्रश्नों के लिए नियत शलाकन की तिथियों को सचिवीय कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो सकते है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

रंजीत कुमार
23/7/2026
(रंजीत कुमार)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0– प्रश्न–01/2025–..5073../वि0स0, राँची, दिनांक–23/07/26

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 23/7/26
(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0– प्रश्न–01/2025–..5073../वि0स0, राँची, दिनांक–23/07/26

प्रतिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 23/7/26
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

आगे
23/07/26